अमर उजाला | राजधानी | amarujala.com

आठ औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी और अन्य रियायतें दे प्रदेश सरकार : हाईकोर्ट

2006-07 में प्रदेश में निवेश करने वाली इकाइयों को लेकर अदालत ने दिए महत्वपूर्ण आदेश

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में 2006 में निवेश करने वाली आठ औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी और अन्य कारोबारी रियायतें देने को लेकर इन कंपनियों द्वारा दायर याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वीकार कर ली हैं। अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने उप्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह मई 2006 में हुए एग्रीमेंट के शासनादेश व बाद में हुए संशोधनों के तहत सब्सिडी, ब्याजमुक्त ऋण व अन्य लाभ प्रदान करे। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने का समय दिया है।

इस मामले में वैकमेट इंडिया, सुखबीर एग्रो एनर्जी, टाटा मोटर्स, बिंदल पेपर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, केआर पल्प, गैलंट इस्पात और जुबिलंट लाइफ साइंसेज ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। इन सभी ने प्रदेश सरकार द्वारा 30 जून व 22 सितंबर 2016 को जारी शासनादेशों को चुनौती दी। इन शासनादेशों में सरकार द्वारा तीन अगस्त 2007 को जारी शासनादेश में दी गई रियायतों को रद्द कर दिया गया था। याचिकाओं में बताया गया था कि यूपी से उत्तराखंड शिफ्ट हो रही औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए यूपी सरकार ने पूंजी निवेश पर रियायत व ब्याज रहित लोन आदि की नीति शुरू की थी। यह नीति ऐसी इकाइयों के लिए थीं जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा के अलावा यूपी में स्थापित की जा रही हों। हर यूनिट में कम से कम 100 करोड़ रुपये का निवेश करना अनिवार्य था और इनमें औद्योगिक उत्पादन 31 मई 2009 तक शुरू हो जाना चाहिए था।

याचिकाकर्ता उद्योगों के अनुसार उन्होंने नीति के तहत निवेश किया और लाभ प्राप्ति का प्रयास किया। इसके लिए उन्हें लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के लिए सरकार को आवेदन करना पड़ता, जिस पर सरकार एलओसी जारी करती, लेकिन तीन अगस्त 2007 को प्रदेश सरकार ने नीति में बदलाव कर दिए। इस दफा कहा गया कि केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को नीति का लाभ मिलेगा, जिन्हें तीन अगस्त 2007 के पहले एलओसी जारी हो चुके हैं और जो इकाइयां प्राथमिक गतिविधियां पूरी कर चुकी हैं। इसके बाद वालों के लिए यह नीति रद्द कर दी गई। इसके बाद कई दौर की वार्ता, प्रस्तावों, कोर्ट में याचिकाओं आदि के जरिए राहत पाने की कोशिश की गई। याचियों ने दावा किया कि उद्योग बंधु, प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई हाई पावर, विधि विभाग आदि ने उनके हक में निर्णय दिए हैं। अब तक इस नीति केतहत 11 औद्योगिक इकाइयों ने यूपी में निवेश किया था, जिनमें से पांच को 138 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन इसे जारी नहीं रखा गया।

प्रदेश सरकार ने समय-समय पर नीतियों में संशोधन किया और अंततः जून व सितंबर 2016 के आदेशों में सरकार ने सब्सिडी देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि इन यूनिट्स को तीन अगस्त 2007 तक एलओसी जारी नहीं हुए थे, जो की नीति की शर्त थी। दो यूनिट्स गैलंट इस्पात व सुखबीर एग्रो एनर्जी को एलओसी जारी होने पर सब्सिडी तो स्वीकारी गई, लेकिन केवल 31 मई 2009 तक के लिए। यूनिट्स को वैट एक्ट 2008 के तहत टैक्स चुकाने को कहा गया, जबकि 2006 की नीति में उन्हें ब्याज रहित लोन के चलते ट्रेड टैक्स चुकाना होता। सरकार ने नए आदेशों को पूर्वप्रभावी करार दिया और एक जून 2006 से इसे लागू किया गया। इस पर यह याचिका दायर की गई।

सरकार के तर्क

सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी प्रदान करना सरकार की संप्रभु कार्यप्रणाली का हिस्सा है, कोई व्यक्ति या कंपनी इसे अधिकार नहीं मान सकते, न ही इस रूप में सब्सिडी पर दावा कर सकते हैं। तीन अगस्त 2007 तक एलओसी जारी नहीं होने पर याची सब्सिडी व अन्य लाभ पर भी दावा नहीं कर सकते। वहीं हाई पावर कमेटी के आदेशों पर कहा कि कमेटी का आदेश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। वहीं पुरानी टैक्स नीति बकाया टैक्स के लिए 'बुक-ट्रांसफर' व्यवस्था पर आधारित है, जिसे वैट एक्ट में 2008 में अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए नई नीति से टैक्स चुकाने को कहा गया है।

हाईकोर्ट ने नकारे सरकारी तर्क कहा-

उद्यमी प्रदेश में निवेश से कतराएंगे

हाईकोर्ट ने इन तर्कों को नहीं माना। जस्टिस प्रशांत कुमार और जस्टिस राजन रॉय ने अपने निर्णय में कहा कि सरकार याची कंपनियों को लाभ प्रदान करने का वादा कर चुकी थी, ऐसे में नीति को इस प्रकार त्यागा नहीं जा सकता। यह न केवल गलत है, बल्कि इससे प्रदेश में निवेश करने से पहले उद्यमी कई बार सोचेंगे, अति सावधान या अनिच्छुक रहेंगे। सरकारी पक्ष कहीं भी यह नहीं साबित कर सका कि वैट की वजह से पुरानी नीति को प्रभावित करना जनहित में जरूरी था। वहीं हाई पावर कमेटी के निर्णय को सरकार पर बाध्यकारी नहीं मानने का तर्क खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कमेटी के चेयरमैन प्रदेश के मुख्य सचिव थे। प्रमुख सचिव वित्त, विधि, उद्योग आदि भी सरकार की ओर से शामिल थे।

निर्णय में कहा

- किए गए वादे के तहत यूपी सरकार सब्सिडी, ब्याज रहित लोन इन याची उद्यमियों को देगी।
- सरकार निर्णय नहीं करेगी कि कौन इसके योग्य है, कौन नहीं, सभी याचियों को लाभ दिया जाएगा।
- निर्णय का अनुपालन तीन महीने में करना होगा।

जताई अपेक्षा, और मुकदमेबाजी न हो

हाईकोर्ट ने इस मामले में बार-बार दायर हो रही याचिकाओं पर सख्त रुख दिखाया। एक याची की ओर से बताया गया था कि इस मामले में याचिकाओं का यह 11वां दौर है। एक अन्य याची के अनुसार वह छठी दफा कोर्ट में अपना मामला लेकर पहुंचे थे। इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से अपेक्षा जताई कि वह समस्त मामले को कभी न खत्म होने वाले कानूनी विवाद में परिवर्तित नहीं करेगी। सरकार को औद्योगिक इकाइयों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से बिना वजह समय और ऊर्जा नष्ट होती है।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ -226001

संख्या-5488/1001/दी/2018 दिनांक : 31.03.2018

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र. में समूह 'ख' व 'ग' के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सूडा/डूडा के सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं टंकक/कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु राजकीय विभागों में कार्यरत इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सेवा-विवरण एवं सेवायोजक/सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति एवं अग्रसारण सहित दिनांक **20.04.2018** तक आमंत्रित किये जाते हैं। पूर्व विवरण सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** के नवीनतम सूचनाएं एवं सूडा द्वारा जारी आदेश सेक्शन से डाउनलोड किया जा सकता है।

निदेशक, सूडा